बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)
कॉर्पोरेट पहचान सं० (CIN)-.U45200BR1974SGC001126
प्रधान कार्यालय–कौटिल्य नगर, बि०वि०स०पु० 5, थाना–हवाई अड्डा थाना, पटना–800014.

ई० कमल किशोर प्रसाद
मुख्य अभियंता

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2223727
मोबाईल नं० : 9471006801
ई–मेल : cepolicenigam@bihar.gov.in
वेबसाईट : www.bpbcc.bihar.gov.in

पत्रांक : Reg 1/2547 दिनांक : ..../......../2024

कार्यालय आदेश–876/2024

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा अन्य कार्यों के अतिरिक्त निविदा सूचना सं0–51/2023–24 ग्रुप सं0 9,7,6,8 के माध्यम से, गया जिलान्तर्गत टेकारी थाना भवन, खिंजरसराय थाना भवन, कोंच थाना भवन एवं बेलागंज थाना भवन का विद्युतिकारण सहित मरम्मति कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी।

2. निविदा सूचना सं0–51/2023-24 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि–06.02.2024 से 15.02.2024 को 17:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी।

3. निविदा सूचना सं0–51/2023-24 ग्रुप सं0 9 के आलोक में गया जिलान्तर्गत टेकारी थाना भवन का विद्युतिकारण सहित मरम्मति कार्य हेतु 03 संवेदकों के द्वारा यथा–मे0 केशव ग्रुप एण्ड कम्पनी, 2–ब्रज भूषण प्रसाद, तथा 3–मे0 एस0 एस0 इन्टप्राईजेज द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

4. निविदा सूचना सं0–51/2023-24 ग्रुप सं0 7 के आलोक में गया जिलान्तर्गत खिंजरसराय थाना भवन का विद्युतिकारण सहित मरम्मति कार्य हेतु 03 संवेदकों के द्वारा यथा–दानिश इकबाल, 2–मो0 अरशद हुसैन, तथा 3–मे0 एस0 एस0 इन्टप्राईजेज द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

5. निविदा सूचना सं0–51/2023-24 ग्रुप सं0 6 के आलोक में गया जिलान्तर्गत कोंच थाना भवन का विद्युतिकारण सहित मरम्मति कार्य हेतु 02 संवेदकों के द्वारा यथा–बसंत कन्स्ट्रकशन, तथा 2–मे0 एस0 एस0 इन्टप्राईजेज द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

6. निविदा सूचना सं0–51/2023-24 ग्रुप सं0 8 के आलोक में गया जिलान्तर्गत बेलागंज थाना भवन का विद्युतिकारण सहित मरम्मति कार्य हेतु 06 संवेदकों के द्वारा यथा–दानिश इकबाल, 2–मे0 केशव ग्रुप एण्ड कम्पनी, 3–शारदा कन्स्ट्रकशन, 4–ब्रज भूषण प्रसाद, 5–मो0 अरशद हुसैन तथा 6–मे0 एस0 एस0 इन्टप्राईजेज द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

7. निविदा सूचना सं0–51/2023-24 के उक्त चारों मरम्मति कार्यों का निविदा कागजात डाउन लोड किया गया। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में दिनांक–11.06.2024 को हुई मोनेटरिंग समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार गया जिलान्तर्गत टेकारी थाना भवन, खिंजरसराय थाना भवन, कोंच थाना भवन एवं बेलागंज थाना भवन का विद्युतीकारण सहित मरम्मति कार्य न्यूनतम दर क्रमशः 13,66,688/– का 22.50% नीचे यानी 10,59,183/– मात्र पर, 12,86,973/– का 22.50% नीचे यानी 9,97,404/– मात्र पर, 13,88,768/– का 22.50% नीचे यानी 10,76,295/–मात्र पर एवं 12,57,799/– का 22.50% नीचे यानी 9,74,794/– मात्र पर, मे0 एस0 एस0 इन्टरप्राईजेज को उक्त चारों मरम्मति कार्यों आवंटित किया गया है।

8. कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमंडल कैम्प डिहरी–ऑन–सोन, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा उपर्युक्त चारों मरम्मति कार्य के इकरारनामा के लिए अपने कार्यालय पत्रांक–1086,1096,1091 दिनांक–19.06.2024, पत्रांक–1189,1190,1200,1191 दिनांक–05.07.2024, पत्रांक–1129 दिनांक–26.06.2024 एवं पत्रांक–1361,1366,1367 दिनांक–25.07.2024 से पत्राचार किया गया एवं अनेकों बार मे0 एस0 एस0 इन्टरप्राईजेज को दूरभाष के माध्यम से भी सूचित किया गया। परन्तु मे0 एस0 एस0 इन्टरप्राईजेज के द्वारा उक्त चारों कार्यों में से किसी एक कार्य का भी इकरारनामा कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमंडल कैम्प डिहरी–ऑन–सोन, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के साथ नहीं किया गया है।

9. कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमंडल कैम्प डिहरी–ऑन–सोन, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा उपर्युक्त चारों मरम्मति कार्य के इकरारनामा ससमय नही किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा भी उक्त बिन्दुओं पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना की ओर से पत्रांक– HQ 3825 दिनांक–13.09.2024 के माध्यम से मे0 एस0 एस0 इन्टरप्राईजेज, फ्लैट नं0–107, गौरी शंकर अपार्टमेन्ट, लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना से इकरारनामा ससमय नही किये जाने पर, कारण पृच्छा करते हुये पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया, साथ ही स्पष्टीकरण में यह हिदायत भी किया गया की, ससमय उक्त चारों मरम्मति कार्यों का इकरारनामा नहीं करने के कारण क्यों नहीं आपकी कम्पनी मे0 एस0 एस0 इन्टरप्राईजेज के निबंधन, निबंधन सं0–तृतीय/51/2023–24 (प्रोपराईटर) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11.(क).8 के तहत काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाय।

10. कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमंडल कैम्प डिहरी–ऑन–सोन, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में अवगत कराया गया की मे0 एस0 एस0 इन्टरप्राईजेज के द्वारा अभी तक इकरारनामा की प्रकिया नहीं अपनाई गई है, एवं दिनांक–23.09.2024 तक कोई स्पष्टीकरण इस कार्यालय को समर्पित नहीं किया गया है।

11. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मे0 एस0 एस0 इन्टरप्राईजेज को उक्त चारों मरम्मति कार्यों के इकरारनामा करने में कोई रूचि नहीं रखते है।

12. अतः बिहार निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11.(क).8 (एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक इकरारनामा नहीं करना) के प्रावधानों के तहत, प्रोपराईटरशिप फर्म मे0 एस0 एस0 इन्टरप्राईजेज के निबंधन सं0– तृतीय/51/2023–24 (प्रोपराईटर), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, को इस आदेश निर्गत होने की तिथि से, अगले दो वर्षो के लिये कालीकृत किया जाता है।

ह0/–
(कमल किशोर प्रसाद)
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांकः–......140.........3919.........   पटना,   दिनांकः–23 / 9 /2024

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता (मो0)/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–1 एवं 2/कार्यपालक अभियंता, मोनेटरिंग, बी0ओ0क्यू0, गुणनियंत्रण/कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य प्रमण्डल, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार अद्यौगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्री जितेन्द्र गिरि, वरीय निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कमल किशोर प्रसाद)
मुख्य अभियंता।